बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः स्वास्थ्य विभाग के अधीन सदर/अनुमंडलीय/रेफरल अस्पतालों एवं अन्य राजकीय स्वास्थ्य संस्थानों में संविदा पर 617 सृजित पदों के विरुद्ध कार्यरत दन्त चिकित्सकों के अनुबंध के राशि 30,000/–(तीस हजार) रु० करने के संबंध में ।

स्वास्थ्य विभाग के अधीन सदर/अनुमंडलीय/रेफरल अस्पतालों एंव अन्य राजकीय स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–816(2) दिनांक–19.07.2011 द्वारा संविदा पर कार्यरत दन्त चिकित्सकों के अनुबंध की राशि 30,000/–(तीस हजार) रुपये प्रति माह की दर से देने का प्रावधान किया गया था । स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–1008(2) दिनांक–23.08.2007 में अनुबंध के आधार पर दन्त चिकित्सकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में यह शर्त थी कि रोस्टर विन्दु के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा ।

2. स्वास्थ्य विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1082(10) दिनांक 11.11.2013 द्वारा दन्त चिकित्सकों के 617 पद सृजित हो चुके हैं और फिलहाल नये दन्त चिकित्सकों की नियुक्ति अनुबंध/संविदा के आधार पर किसी जिले में नहीं की जायेगी ।

3. अतः आदेश दिया जाता है कि दन्त चिकित्सकों के 617 सृजित पदों के विरुद्ध पूर्व से अनुबंध/संविदा के आधार पर कार्यरत दन्त चिकित्सकों को कार्मिक एवं प्रशासानिक विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुसार रोस्टर बिन्दु के आधार पर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–816(2) दिनांक–19.07.2011 के आलोक में 30,000/–(तीस हजार) रुपये प्रति माह की दर से मानदेय देय होगा । यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सिर्फ पूर्व से कार्यरत अनुबंध/संविदा के आधार पर कार्यरत दन्त चिकित्सकों के लिए ही मान्य होगा । किसी भी परिस्थिति में नया अनुबंध/संविदा चयन नहीं किया जाएगा ।

4. आदेश दिया जाता है कि जनसाधारण की जानकारी हेतु इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय एवं उसकी प्रतियाँ सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित किया जाय ।

21/1/014

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–2/एम–120/13– 93(2) पटना, दिनांक 21/01/2014

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०)/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा) वित्त विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, पटना/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी सिविल सर्जन/सभी कोषागार पदाधिकारी /प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अप लोड करने हेतु/विभागीय प्रशाख पदाधिकारी, 2/3 को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।

21/1/014

सरकार के संयुक्त सचिव

21/1/14